न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 25/2023

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/27

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड पता–ई 145 सैकण्ड एवं थर्ड फलौर, रमेश मार्ग, अपोजिट सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. जय भोले होजयारी, पता नजमपुरा, पाला रोड, बांसवाडा एवं प्लाट नं. 11 गदेडियावाटा के पीछे, सुभाष नगर, बांसवाडा (ऋणी)
2. श्री भरत लालवानी पुत्र स्व. श्री राजकुमार लालवानी (विधिक वारिसान स्व. श्री राजकुमार लालवानी) पता जैन मंदिर के पास, कॉमर्शियल कॉलोनी, बांसवाडा (सहऋणी)
3. श्रीमती सोनिया लालवानी पुत्री स्व. श्री राजकुमार लालवानी (विधिक वारिसान स्व. श्री राजकुमार लालवानी) पता जैन मंदिर के पास, कॉमर्शियल कॉलोनी, बांसवाडा (सहऋणी)
4. श्रीमती भारती लालवानी पत्नी स्व. श्री राजकुमार लालवानी पता जैन मंदिर के पास, कॉमर्शियल कॉलोनी, बांसवाडा (सहऋणी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 20–09–2023

प्राधिकृत अधिकारी एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर की ओर से श्री राकेश पाटीदार अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वित्तिय संस्था ने 1– जय भोले होजयारी, पता नजमपुरा, पाला रोड, बांसवाडा एवं प्लाट न [illegible] डियावाटा के पीछे, सुभाष नगर, बांसवाडा प्रोपराईटर श्री राजकुमार लालवानी (ऋणी) [illegible] स्व. श्री राज[illegible]लालवानी पता जैन मंदिर के पास, कॉमर्शियल कॉलोनी, बांसवाडा (सहऋणी) को दिनांक 30–10–2019 को अनुबंध संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:15:20 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

9238938 निष्पादित कर राशि रुपया 21,00,000 (अक्षरे इक्कीस लाख रुपये मात्र), ऋण स्वीकृत किया था। तत्पश्चात श्री राजकुमार लालवानी की मृत्यु हो जाने से स्व.राजकुमार लालवानी के विधिक वारिसान् के रुप में उनके पुत्र श्री भरत लालवानी, पुत्री सोनिया लालवानी एवं श्रीमती भारती लालवानी है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के रुप में पक्षकार बनाया गया है।

अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक **03–02–2021 को अक्रियान्वित आस्ति (एन.पी.ए.)** में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 20–01–2022 तक कुल बकाया राशि **25,20,356.13 रू. (पच्चीस लाख बीस हजार तीन सौ छप्पन रुपया तेरह पैसा)** एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरीटी के रुप में अप्रार्थीगण द्वारा अपनी **एक अचल सम्पत्ति प्लॉट नंबर 11, गदेडीया वाटा के पिछे, सुभाष नगर तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा पर स्थित है,** जिसका कुल क्षैत्रफल **1350 वर्ग फीट** है, जिसके **पूर्व में भूखण्ड सं. 10, पश्चिम में भूखण्ड सं. 12, उत्तर में आम रोड 30 फीट, दक्षिण में आम रोड 15 फीट है,** को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक प्रार्थी के पास रहन रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/सहऋणी के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 5 अगस्त 2016 के अनुसार प्रार्थी एच.डी.पी फाईनेंशियल लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2001 का 54) की धारा 31 क के साथ पठित धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप–खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:15:20 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 25–01–2022 को ऋणी / अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया है। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दिनांक 20–01–2023 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गये। दिनांक 17.02.2023 को अप्रार्थीगणो के नोटिस बाद चस्पा रिर्पोट के साथ प्रस्तुत हुए तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से श्री समर पण्ड्या अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण सं 1 व 2 अनुपस्थित रहे। दिनांक 24.03.2023 को अप्रार्थी सं. 3 व 4 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अनवान में अंकित अप्रार्थी सं. 2 के सन्दर्भ में आपत्ति प्रस्तुत की। दिनांक 16.08.2023 को अप्रार्थी सं. 3 व 4 के अधिवक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद, प्रतितोष आयोग, बांसवाडा के प्रकरण सं. 01/2022 भारती मालपानी बनाम एच.बी.डी व अन्य में मामले मे वसूली कार्यवाही रोक कर विपक्षी के जवाब पेश करने तक मामले में यथा स्थिति बनाये रखने। परिवादी द्वारा भी विवाद ग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने एवं वाद ग्रस्त सम्पत्ति का किसी प्रकार से अन्तरण, बेचान आदि नही करने आदेश (प्रासीडिंग) व परिवाद की नकल प्रस्तुत की। जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को उपलब्ध कराई गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने इस पर जवाब हेतु अवसर चाहा। दिनांक 06.09.2023 को एक और अवसर दिया गया।

दिनांक 20–09–2023 को प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्थगन के सम्बन्ध में जवाब पेश नही किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 के अधिवक्ता की ओर से बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था का उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नही है, क्योंकि जिला उपभोक्ता विवाद, प्रतितोष आयोग, बांसवाडा के प्रकरण सं. 01/2022 भारती मालपानी बनाम एच.बी.डी व अन्य में विचाराधिन है और उक्त प्रकरण मे दिनांक 23–03–2022 को स्थगन आदेश जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:15:20 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाडा (राज.)

किया है। प्रार्थी संस्था द्वारा स्थगन आदेश का तथ्य छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 17–01–2023 को प्रस्तुत किया है जबकि जिला उपभोक्ता विवाद, प्रतितोष आयोग, बांसवाडा द्वारा दिनांक 23–03–2022 को ही स्थगन आदेश जारी कर दिया था। जो वर्तमान तक प्रभावी है। स्थगन आदेश होने के कारण यह प्रकरण कानूनन पोषणीय नही है और काबिले खारीज है।

वकील प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया गया कि वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रकरण में अपील Debts Recovery Tribunal, Jaipur में ही प्रस्तुत की जा सकती है। अप्रार्थी द्वारा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता विवाद, प्रतितोष आयोग, बांसवाडा में प्रस्तुत किया है जो प्रावधान अनुसार नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 स्वीकृत फरमावे।

हमने प्रस्तुत बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। जिला उपभोक्ता विवाद, प्रतितोष आयोग, बांसवाडा के प्रकरण सं. 01/2022 भारती मालपानी बनाम एच.बी.डी व अन्य में विचाराधिन है और उक्त प्रकरण मे दिनांक 23–03–2022 को स्थगन आदेश जारी किया है। विधि अनुकूल सक्षम न्यायालय से प्रार्थना पत्र प्रकरण क्रमांक 01/2022 पर निर्णय नही होता है तब तक प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नही की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–09–2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:15:20 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)